

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



26- बी.एच.ई. एल. रानीपुर (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अर्जुन नागयान पुत्र/पुत्री/पत्नी कलीशम नागयान
आयु 39 वर्ष, जो ग्राम नं० - बहादुराबाद इलाहाबाद
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐरो किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य
 - (ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है शून्य
 - (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई शून्य
 - (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे शून्य
 - (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है शून्य
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

Arjun Nagyaan

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... शून्य

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... शून्य

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... शून्य जिला (जिले).....

..... राज्य..... शून्य

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

..... शून्य

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... शून्य

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

..... शून्य

रोशनाबाद, हरिद्वार

11.1.2012

सत्यापन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।


.....स्थान पर आज तारीख.....को सत्यापित किया गया.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे रतम्, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये

NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND,
HARIDWAR

Id. By
Firmood Ali
Advocate
Distt. & Session Court
Rooshnabad, Haridwar



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 371875

29 DEC 2018



Nisha Sharma
11/11/18
NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR

Id. By
Farooq Ali
Advocate
Distt. & Session Court
Roorkee, Haridwar

Arjun Singh